पंचायत समिति राजगढ, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रस्तावना (क):—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति राजगढ विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति राजगढ में निम्नलिखित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत थे :—

1	श्री कृष्ण दत्त कश्यप	01.04.2019 से 09.07.2019
2	श्री रमेश कुमार शर्मा	10.07.2019 से 06.03.2021
3	श्री अरविन्द गुलेरिया	08.03.2021 से 02.09.2023
4	श्री तपेन्द्र सिहं नेगी	03.09.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

पंचायत समिति राजगढ के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में भारी अन्तर	38.83
2	6	वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में भारी अन्तर	30.00
3	10	दुकान किराया राजस्व वसूली हेतु शेष	0.53
4	11	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	97.56
5	13	गलत वेतन निर्धारण करके किया गया अधिक भुगतान	4.14
6	14	यात्रा दावों का किया गया अनियमित भुगतान	0.14
7	18	विश्राम गृह में निवास हेतु राशि की वसूली न करना	3.05

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

पंचायत समिति राजगढ, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर के अवधि 01/04/2019 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण श्रीमति ममता रावल सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 14.11.2024 से 03.12.2024 तक पंचायत समिति राजगढ के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गयाः–

वित्तीय वर्श	आय	व्यय
2019–2020	11/2019	08/2019
2020–2021	02/2021	05/2020
2021–2022	05/2021	07/2021
2022–2023	06/2022	03/2023
2023–2024	05/2023	04/2023

अस्वीकरण :– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

पंचायत समिति राजगढ, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर के अवधि 01/04/2019 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹16000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

पंचायत समिति राजगढ, विकास खण्ड राजगढ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट –1 से 6** पर भी दिया गया हैः–

Panchayt Smiti Rajgarh 01.04.2019 to 31.03.2024

Scheme	Financial Position Bal.31.03.2024	Cash book Bal. 31.03.2024	Diff. 31.03.2024
Own Source	930938	1030938	100000
Smiti Nidhi/GIA	8598450.08	8622435	23984.92
14th FC	564431	3441334	2876903
15th FC	5537772	5537772	0
RGSA	514852	514852	0
BRGF	3138691	3138691	0
	19285134.08	22286022	3000887.92

Panchayt Smiti Rajgarh 01.04.2019 to 31.03.2024

Scheme	Financial Position Bal.31.03.2024	Bank Bal. 31.03.2024	Diff. 31.03.2024
Own Source	930938	932944	-2006
Smiti Nidhi/GIA	8598450.08	8050282	548168.08
14th FC	564431	577241	-12810
15th FC	5537772	5537772	0
RGSA	514852	514852	0
BRGF	3138691	2789887	348804
	19285134.08	18402978	882156.08
Total Difference 3000887.92+882156.08			3883044.00

Panchayt Smiti Rajgarh 01.04.2019 to 31.03.2024

Consolidated Financial Position 2019-20 to 2023-24

Financial Year	Opening Balance	Receipts	Interest	Total	Exp.	Closing Balance
2019-20	9385725.00	28151995.00	341043.00	37878763.00	20203595.00	17675168.00
2020-21	17675168.00	25533224.00	198534.00	43406926.00	29559349.00	13847577.00
2021-22	13847577.00	34280324.00	109630.00	48237531.00	28377336.00	19860195.00
2022-23	19860195.00	41429068.00	281649.00	61570912.00	33505188.00	28065724.00
2023-24	28065724.00	30547625.00	254835.00	58868184.00	39583049.92	19285134.08
(A)	Closing Balance as per Financial position as on 31.03.2024 (Annexure 1 to 6)					19285134.08
	Closing Balance as per cash book as on 31.03.2024 (Annexure 1 to 6)					22286022.00
	Diff.Financial position and cash book as on 31.03.2024					3000887.92
(B)	Closing Balance as per Financial position as on 31.03.2024					19285134.08
	Closing Balance as per Bank accounts as on 31.03.2024 (Annexure-7)					18402978.00
	Diff.Financial position and bank accounts as on 31.03.2024					882156.08
Total Difference A + B (3000887.92 + 882156.08)						3883044.00

5 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2024 को ₹38.83 लाख का भारी अन्तर :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है। पंचायत समिति के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार क्रमशः ₹3883044 का भारी अन्तर पाया गया,

जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–7** में दिया गया है । उक्त अन्तर का समाधान न करने के कारण किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शीर्ष	रोकड़ बही के अनुसार 31.03.24 को अन्तिम शेष (₹)	बैंक के अनुसार 31.03.24 को अन्तिम शेष (₹)	अन्तर (₹)	टिप्पणी
Own Source	1030938	932944	97994	बैंक में कम जमा
Samiti GIA	8622435	8050282	572153	बैंक में कम जमा
14th FC	3441334	577241	2864093	बैंक में अधिक जमा
BRGF	3138691	2789887	348804	बैंक में कम जमा
		Total	3883044	

अंकेक्षण अधिचायना संख्या 03 दिनांक 21.11.24, 04 दिनांक 21.11.24, 06 दिनांक 26.11.24, तथा 07 दिनांक 26.11.24 द्वारा उक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पचांयत समिति राजगढ द्वारा सूचित किया कि जल्द ही रोकड़ बही के शेषों का बैंक में जमा राशि से मिलान कर लिया जायेगा तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार उक्त अन्तर का यथाशीघ्र मिलान किया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

6 रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेषों में ₹30.00 लाख का अन्तर पाया जानाः–

पंचायत समिति के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि हेतु प्रस्तुत मासिक आय व्यय आंकडों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार **₹**3000888 **(परिशिष्ट–1 से 6)** का भारी

अन्तर पाया गया था जिसका समाधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शीर्ष	रोकड़ बही के अनुसार 31.03.24 को अन्तिम शेष (₹)	वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.03.24 को अन्तिम शेष (₹)	अन्तर (₹)
Own Source	1030938	930938	100000
Samiti GIA	8622435	8598450	23985
14th FC	3441334	564431	2876903
		Total	**3000888**

अंकेक्षण अधिचायना संख्या 03 दिनांक 21.11.24, 04 दिनांक 21.11.24, 06 दिनांक 26.11.24, तथा 07 दिनांक 26.11.24 द्वारा उक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पचांयत समिति राजगढ द्वारा सूचित किया कि जल्द ही वित्तीय स्थिति के शेषों का रोकड बही/बैंक में जमा राशि से मिलान कर लिया जायेगा तथा अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार उक्त अन्तर का यथाशीघ्र मिलान किया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

7 स्वयं स्त्रोत की ऑनलाईन रोकड़ बही में ₹1.00 लाख का अधिक शेष दर्शानाः—

अंकेक्षण के दौरान स्वयं स्त्रोत की रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष ₹1851903 था परन्तु दिनांक 01.04.2022 को ऑनलाईन रोकड़ बही संधारित करते समय यह शेष ₹100000 अधिक दर्शाकर ₹1951903 अंकित किया गया था। उक्त अधिक दर्शाए गए शेष के सम्बन्ध में समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी जिस कारण दिनांक 31.03.2024 को भी वित्तीय स्थिति व रोकड़ बही में ₹100000 का अन्तर

पाया गया था। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए उक्त राशि का उचित समाधान/लेखांकन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 14वां वित्त की ऑनलाईन रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2024 को ₹28.77 लाख का शेष अधिक दर्शानाः—

अंकेक्षण के दौरान 14वां वित्त आयोग की रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष ₹3441334 दर्ज किया गया था जबकि ऑफलाईन रोकड़ बही व प्रस्तुत किए गए मासिक आय–व्यय आंकड़ों की समीक्षा करने के उपरान्त वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2024 को शेष ₹564431 था। उक्त अधिक दर्शाए गए शेष ₹2876903 का लेखों में उचित सुधार नहीं किया गया था जिस कारण पाए गए उक्त अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि का उचित समाधान करके लेखों में लेखांकन करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

9 नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा स्वः स्त्रोत में उपलब्ध अतिरिक्त राशि को प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके । पंचायत समिति राजगढ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 30.09.2024 तथा संख्याः 02 दिनांक 20.11.2024 के उत्तर में प्रस्तुत सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में इस नियम की अनुपालना नही की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नही किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष स्वः स्त्रोत निधि में समुचित राशि उपलब्ध थी । अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत समिति अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वः स्त्रोत निधि की राशि को अल्प व दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित करें ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके । कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 दुकान किराया राजस्व ₹0.53 लाख वसूली हेतु शेषः—

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 30.09.2024 तथा 02 दिनांक 20.11.2024 की अनुपालना में पंचायत समिति राजगढ द्वारा प्रस्तुत सूचना **परिशिष्ट—8** का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.24 को दुकान किराया राजस्व **₹53100** वसूली हेतु शेष था । मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति राजगढ ने अंकेक्षण के साथ हुई चर्चा में आश्वस्त किया

कि राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी । अतः उक्त दिये गये आश्वासन के अनुसार राशि की शीघ्र वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 अनुदान राशि ₹97.56 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत समिति राजगढ, विकास खण्ड राजगढ जिला सिरमौर में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.24 को **परिशिष्ट–3 से 6** पर प्रस्तुत सूचना अनुसार ₹9755746 उपयोग हेतु शेष थी जिसे फण्डिंग एजेन्सी के दिशा–निर्देशों अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इनको निर्धारित लक्ष्यों हेतु शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12 ₹20.19 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

हि0 प्र0 (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र उस प्राधिकारी को जिसने अनुदान स्वीकृत किये हैं, प्रस्तुत करने अनिवार्य है। परन्तु पंचायत समिति राजगढ के अवधि 4/19 से 3/24 तक के लेखों के अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 6/22 की रोकड बही व व्यय वाउचरों के अनुसार निम्न वर्णित विभिन्न विकास कार्यो हेतु राशि ₹20,19,415.00 का हस्तांतरण किया गया था परन्तु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 30.11.2024 जारी करके तथा मौखिक रूप में बार बार आग्रह पर भी इन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किए गए। अतः अब इन प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित से प्राप्त करके नियमानुसार सम्बन्धित संस्था को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:–

क्र0सं0	वा0सं0 व दिनांक	शीर्ष का नाम	विकास कार्य का विवरण	राशि (₹)
1	5/1-8-19	BRGF	c/o c/Bhawan GP Habban	40000
2	5/17-8-19	BRGF	c/o D/water tank pipe line machi pani to Bandoli GP Deothi Majgaon	24000

3	7/ 30-8-19	BRGF	Paid to GP Neri Kotli c/o Chabutra at kotli final payment	25000
4	19/ 7-5-20	BRGF	GP Mattal Bakhog c/o house of Sh. Ramesh Chand	37500
5	19/7-3-23	15th FC	Repair of link road badlog to bhaloti	57847
6	20/ 7-3-23	15th FC	c/o RWH tank fogu Gp bohal taliya	82358
7	21/ 29-3-23	15th FC	Repair of toilet GP Deedag	30000
8	22/ 29-3-23	15th FC	Pvc pipe line jool nala to bag GP kotla bangi	74999
9	23/29-3-23	15th FC	c/o community toilet at kotta pull	74999
10	24/29-3-23	15th FC	For purchase of furniture GP Shalana	99999
11	25/29-3-23	15th FC	Repair of link road to manwana jhangan GP chhogtali	99999
12	11/13-8-19	14th FC	Paid to Tali Bhujjal for purchase of furniture	30000
13	11/13-8-19	14th FC	Purchase of Furniture GPS Dhamander GP Koti Padhog	40000
14	12/ 20-8-19	14th FC	Paid to Gp Thod Niwar c/o pipe line Reri nala to Gusan	30553
15	13/ 26-8-19	14th FC	Purchase of 26 no. Sewing Machine	112161

16	14/ 27-8-19	14th FC	GP Shaya Shanora c/o Rain Shelter khainward	75000
17	26/ 11-5-20	14th FC	L/R Nichla Sharwet to Uparla Sharwat GP Devthi Majhgaon	40000
18	31/ 16-5-20	14th FC	GP Koti Padog Play ground Mound	30000
17	32/ 20-5-20	14th FC	c/o Playground GP Deothi Majhgaon	20000
18	32/ 20-5-20	14th FC	GP Shalana c/o Ambulance Road Drable to Shiram	400000
19	32/ 20-5-20	14th FC	GP Deedag c/o Ambulance road Jehan Satir	100000
20	32/ 20-5-20	14th FC	GP Chhogtali c/o Ambulance road Bhog to Patiya vill.	120000
21	36/20-5-20	14th FC	GP Mattal Bahlog c/o Panchayat Ghar	300000
22	37/ 28-5-20	14th FC	GP Shilanji c/o Playground Katogra	20000
23	87/ 5-7-21	14th FC	GP Chhogtali c/o Ambukance road main road to kanda	15000
24	92/ 17-7-21	14th FC	GP Koti Padog c/o Rain Shelter at Dhamander	30000
25	92/ 17-7-21	14th FC	GP Koti Padog L/R Kufer to Sharag	10000
			Total	2019415

13 गलत वेतन निर्धारण करके किया गया ₹4.14 लाख का अनियमित अधिक भुगतान :–

हि0 प्र0 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)B(7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान किए गए हैं । जबकि पंचायती राज विभाग हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336 dated 23.09.2022 अनुसार जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों, जो वेतनमान 5910–20200+1900 ग्रेड पे में नियमित रूप से कार्यरत थे, का वेतन संशोधित वेतनमान/ मैट्रिक्स के लैवल 3 **(20200–64000) में तत्काल प्रभाव दिनांक 23.09.2022 से निर्धारित किया जाना अपेक्षित है ।**

पंचायत समिति राजगढ की स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की सेवा पंजिकाओं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा श्रीमती रमा देवी पंचायत सचिव जो कि दिनांक 8.12.2020 को नियमित रूप से नियुक्त हुई थी, को संशोधित वेतनमान दिनांक 23.09.22 को निर्धारित न करके अनियमित रूप से दिनांक 01.12.2022 को निर्धारित किया गया था जो कि पंचायती राज विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार देय प्रतीत नही होता है । परिणामस्वरूप पंचायात सचिव श्रीमती रमा देवी का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण **परिशिष्ट –9** के अनुसार दिनांक 01.12.. 22 से 30.11.24 तक ₹413512 का अनियमित / अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है । अनियमित वेतन निर्धारण बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 02.12.2024 जारी करके यह प्रकरण पंचायत समिति के ध्यान में लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः उक्त अनियमित /अधिक भुगतान को विस्तृत जांच पडताल उपरान्त तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

14 यात्रा दावों का किया गया ₹0.14 लाख का अनियमित भुगतान

14.1 बी0डी0सी0 सदस्यों को ₹10507 का अनियमित भुगतान :–

हि0 प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 174 अनुसार कर्मचारी को यात्रा भत्ते दावे यात्रा पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा यह दावे देय नहीं होगें। परन्तु चयनित माह 5/20 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 33 द्वारा बीडीसी सदस्यों के यात्रा दावों का भुगतान किया गया था । इन दावों को कार्यालय पावती संख्या 75 दिनांक 12.5.20 के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त किया गया था । जबकि ये

दावे वर्ष 2018 व जनवरी 2019 से सम्बन्धित थे जोकि नियमानुसार भुगतान योग्य नहीं थे। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 30.11.24 द्वारा उक्त भुगतानों बारे स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः अब निम्न तालिका में दिए भुगतानों को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान ₹10507 की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	यात्रा की अवधि	भुगतान की गई राशि(₹)	अंकेक्षण टिप्पणी
1	श्रीमती शकुन्तला देवी	29.1.19	190	पावती संख्या 75 दिनांक 12.5.20 अनुसार यह दावा कालातीत प्रतीत होता है
		30.1.18 से 10.6.18	570	....यथोपरि......
2	श्री चेत राम चौहान	29.1.19	280	....यथोपरि......
		30.1.18 से 10.6.18	840	....यथोपरि......
3	श्रीमती तारा ठाकुर	29.1.19	205	....यथोपरि......
		30.1.18 से 10.5.18	615	....यथोपरि......
4	श्रीमती अर्पना ठाकुर	29.1.19	152	....यथोपरि......
		30.1.18 से 21.11.18	885	....यथोपरि......
5	श्रीमती कल्पना देवी	30.1.18 से 21.12.18	2130	....यथोपरि......
6	श्री रमेश कुमार	30.1.18 से 21.12.18	1557	....यथोपरि......
		29.1.19	275	....यथोपरि......
7	श्रीमती पुष्पा देवी	30.1.18 से 10.5.18	387	....यथोपरि......
		29.1.19	135	....यथोपरि......

8	श्रीमती कृष्णा ठाकुर	30.1.18 ो 21.11.18	1941	....यथोपरि......
		29.1.19	345	....यथोपरि......
		कुल	₹10507	

14.2 पंचायत सचिवों को ₹3289 का अनियमित भुगतान :–

अंकेक्षण के दौरान व्यय की जांच हेतु चयनित माह के वाउचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न तालिका में दिए गए मामलों में हि0 प्र0 सरकार, वित्त विभाग की कार्यालय आदेश संख्या Fin-(C)-B(7)-1/2009 दिनांक 20.04.2012 की अवहेलना करके ₹3289 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 30. 11.24 द्वारा किए गए उक्त भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः अब निम्न तालिका में दिए भुगतानों को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान ₹3289 की उचित स्त्रोत से वसूली करके निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

व0 सं0 / माह	पंचायत सचिव का नाम / ग्रेड पे	यात्रा का दिन व समय	स्थान	नियमानुसार देय दैनिक भत्ता(₹)	दिया गया डीए0 (₹)	अधिक भुगतान (₹)	कुल अधिक भुगतान
93, 7/21	श्रीमती सुमित्रा देवी / ₹1900	7.4.21 / दोपहर 1 बजे से सायं 8 बजे तक	सेर जगास से नाहन	42 (₹60 का 70%)	160	118	₹209
		8.4.21	नाहन में ठहराव	130	160	30	
		9.4.21 / प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक	नाहन से सेर जगास	109 (70% of 130+30%of 60)	160	51	
		घटाव फिक्स दैनिक भत्ता		10		10	

03/3.4.23	श्रीमती नीरज /₹3200	8.2.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	₹616
		16.2.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		23.2.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		28.2.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		3.3.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		24.3.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		30.3.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		15.4.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	₹616
		25.4.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		10.5.22/ प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	

		13.5.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		30.5.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		6.6.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		6.7.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		2.8.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	₹792
		8.8.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		18.8.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		22.8.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		23.8.22 / प्रातः 6.45 बजे से सायं 7 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		31.8.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.15 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	

		8.9.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		20.9.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		12.10.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		22.11.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	₹968
		24.11.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		13.12.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		21.12.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		24.12.22 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		05.1.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		18.1.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	

		30.1.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		03.2.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		15.2.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		20.2.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	
		15.3.23 / प्रातः 7 बजे से सायं 7.30 बजे तक	धाली से राजगढ व वापसी	72	160	88	₹88
						कुल	₹3289

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.12 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹12210 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था । स्टॉक/स्टोर के क्रय हेतु औपचारिकताओं के अभिलेख हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 30.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त न होने के कारण उक्त अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः अनियमितता के कारणों को स्पष्ट करते हुए तदानुसार व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

क्रम सं0	वा0सं0 व दिनांक	विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)
1	98 दिनांक 30.7.21	बिल संख्या 5886 दिनांक 27.4.21 मै0 रोशन लाल शर्मा एण्ड संस राजगढ से मिक्सर ग्राइन्डर व अन्य सामान का क्रय	4310
2	7/ माह 04,23	बिल संख्या के.एच.एस./22–23–2152 दिनांक 3.3.23, तथा के.एच.एस./22–23– 2248 दिनांक 15.3.23, मै0 खेरा हार्डवेअर स्टोर राजगढ से CPVC pipe, CPVC Elbow, CPVC Tee and other material, Grey SWR pipe, etc.	7900
		योग	12210

16 ₹.0.70 लाख का पंचायत समिति अनुदान पर अनुचित प्रभार

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वाउचरों के द्वारा पंचायत अनुदानों से भुगतान किया गया था जो कि उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त मनरेगा निधि से किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 30.11.2024 द्वारा उक्त भुगतानों हेतु वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त न होने के कारण इस प्रकरण का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका। अतः पंचायत समिति अनुदानों से किए गए निम्न भुगतान का अनुदानों में प्रावधानों बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	राशि	विवरण
1	82/27.3.23	₹33906	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों उपरान्त याचिकाकर्ता के मस्ट्रोलों की बकाया राशि व विलम्बित भुगतान जो कि ग्राम पंचायत भानत के अन्तर्गत मनरेगा योजना से सम्बन्धित था
2	83/ 27.3.23	₹9240	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों उपरान्त याचिकाकर्ता के मस्ट्रोलों की बकाया राशि का

			भुगतान जो कि ग्राम पंचायत भानत के अन्तर्गत मनरेगा योजना से सम्बन्धित था
3	84 / 27.3.23	₹27000	माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों उपरान्त श्री रमेश चन्द याचिकाकर्ता को निर्माण सामग्री हेतु राशि का भुगतान जो कि ग्राम पंचायत भानत के अन्तर्गत मनरेगा योजना से सम्बन्धित था
	कुल	₹70146	

17 ₹0.23 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों बारेः–

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न तालिका में वर्णित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों अनुसार नही किया गया था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 30.11.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने / वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः अब निम्न तालिका के क्रम संख्या 1 व 2 में किए गए भुगतान हेतु चिकित्सक की परामर्श पर्ची अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की जाए, क्रम संख्या 3 पर वर्णित भुगतान सम्बनिधत कर्मचारी के खाते में स्थानान्तरित किया जाए, तथा क्रम संख्या 4 व 5 पर किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके समिति निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रम सं0	व0 सं0 व दिनांक	पंचायत सचिव का नाम	राशि	विवरण	अंकेक्षण टिप्पणी
1	80 / 7.3.23	श्री इन्दर सिहं	₹12659	...	चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया परामर्श /पर्ची सलंग्न नही पाई गई।
2	80 / 7.3.23	श्री इन्दर सिहं	₹1143	...	चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया परामर्श /पर्ची सलंग्न नही पाई गई।
3	80 / 7.3.23	श्री इन्दर सिहं	₹3204	....	उक्त बिल श्री रमेश चन्द पंचायत सचिव का था परन्तु भुगतान श्री इन्दर

					सिहं पंचायत सचिव को किया गया ।
4	3/3.4.23	श्री विरेन्द्र कुमार	₹3838	Vitix Gel	दवाई देय नही है
			₹2100	Vitilus Lotion	दवाई देय नही है
		कुल	22944		

18 विश्राम गृह में निवास उपरान्त ₹3.05 लाख की वसूली न करना:–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 30.09.24, 02 दिनांक 20.11.24, 05 दिनांक 26.11.24 के सन्दर्भ में पंचायत समिति राजगढ द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार पंचायत समिति का 3 कमरों का एक विश्राम गृह है जिसमें दिनांक 01.09.2022 से विकास खण्ड कार्यालय राजगढ के अधीक्षक श्री बलवन्त सिंह निवास कर रहे थे। अभिलेख की जांच उपरान्त पाया गया कि उक्त अधीक्षक से, विश्राम गृह में निवास किए जाने उपरान्त किसी प्रकार का शुल्क वसूल नही किया जा रहा था । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 30.11.24 जारी करके मामले से सम्बन्धित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका। अतः इस सम्बंध में तथ्यों सहित पूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा पंचायत समिति द्वारा विश्राम गृह में निवास हेतु निर्धारित शुल्क अनुसार राशि की वसूली की जाए अथवा लोक निर्माण विभाग हि0 प्र0 के विश्राम गृहों हेतु निर्धारित शुल्क अनुसार अवधि 01.09.22 से 30.06.23 तक ₹150 प्रतिदिन व 1.7.23 से 30.11.24 तक ₹500 प्रतिदिन की दर से कुल ₹304950 की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

19 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। इस त्रुटि बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका** :— इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

21 **निष्कर्ष** :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—2620046

का0/प्रति

2420- 2423 25 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (10) 98/2025 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009

का0/प्रति

परिशिष्ट -1, पैरा 4.6 से सम्बन्धित

Financial Position Of Qwn Source Fund Panchayat Samiti Rajgarh District Sirmaur HP for the period 4/19/to 3/24						
Year	Opening Balance	Reveipts during the year	Interest/ Transfer of amount/ contra entry	Total	Payment	Closing Balance
2019-20	1900379	8600	552227	2461206	40280	2420926
2020-21	2420926	14800	381777	2817503	336864	2480639
2021-22	2480639	247000	31771	2759410	907507	1851903
2022-23	1851903	11600	72747	1936250	404508	1531742
2023-24	1531742	11700	55703	1599145	668207	930938
(1) Closing Balance as on 31-03-24 as per Financial Position						930938
(2) Closing Balance as on 31-03-24 as per cash book						1030938
(3) Difference in balance as per cash book and financial position (2-1)						100000
(4) Closing balance as per bank pass book as on 31-03-24 A/c No - 15472						932944
(5) Difference in balance as per bank and financial position (4-1)						2006
(6) Difference in balance as per bank and cash book (4-2)						-97994

नोट: उपरोक्त अन्तर बारे शीघ्र ही समाधान करके अंकेक्षण को दुरुस्त कर दी जाएगी।

Chief Executive Officer(PS)-cum-
BDO Rajgarh Distt. Sirmour H.P.

परिशिष्ट - 2 पैरा 4 (16) में सन्दर्भित

(28)

Financial position of Grait In Aid Fund for the period 4/19 to 3/24 Panchayat Samiti Rajgarh						
Year	Opening Balance	Receipts	Total	Payment	Closing Balance	
2019-20	127016	22897733	23024749	15774046	7250703	
2020-21	7250703	21898973	29149676	24561805	4587871	
2021-22	4587871	28942249	33530120	22519800	11010320	
2022-23	11010320	35765581	46775901	31345888	15430013	
2023-24	15430013	29414348	44844361	36245910.92	8598450.08	
~~Closing Balance as on 31-3-24 as per Cash Book~~ =						
(1) Closing Balance as on 31-03-24 as per Financial Position						8598450
(2) Closing Balance as on 31-03-24 as per cash book						8622435
(3) Difference in balance as per cash book and financial position (2-1)						23985
(4) Closing balance as per bank pass book as on 31-03-24(						8050282
(5) Difference in balance as per bank and financial position (4-1)						-548168
(6) Difference in balance as per bank and cash book (4-2)						-572153

नोट: उपरोक्त अन्तर बारे शीघ्र ही समाधान तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

Chief Executive Officer-cum-BDO Rajgarh Distt. Sirmour H.P.

4133 = 216668.05
3107 = 3687739
3522 = 4185075

4133 – 208453
3522 – 4154090
3107 – 3687739

} 8050282

परिशिष्ट - 3. पैरा 4 (5) के अन्तर्गत

Financial Position of 14th FC for the period 4/19 ls 3/24 Panchayat Samiti Rajgarh						
Year	Opening Balance	Receipts	Interest	Total	Payments	Closing Balance
2019-20	3441334	4593435	222530	8257299	3953071	4304228
2020-21	4304228	690000	95886	5090114	3914400	1175714
2021-22	1175714	0	31954	1207668	632695	574973
2022-23	574973	0	17549	592522	32000	560522
2023-24	560522	0	3909	564431	0	564431
Closing balance as on 31-3-24 as per Cash Book						3441334
Closing Balance as on 31.3.24 as per bank account number 4134101000775 (A)						569055
Closing Balance as on 31.3.24 as per bank account number 56310123992 (B)						8186
Total balance as per bank (C) = (A+B)						577241
Closing Balance as on 31.3.24 as per Financial Position (D)						564431
Difference as excess in bank (C) -(D)						12810

नोट:- उपरोक्त अन्तर का शीघ्र ही समाधान तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दी जावेगी।

24

775 - 569055
992 - 8243

परिशिष्ट - 4, पैरा 4 (5) से सम्बन्धित

27

Financial Position 15th FC for the period 4/19 to 3/24 Panchayat Samiti Rajgarh

Year	Opening Balance	Receipts	Interest	Total	Payment	Closing Balance
2019-20	0	0	0	0	0	0
2020-21	0	2470768	31507	2502275	31507	2470768
2021-22	2470768	4362377	20511	6853656	3677314	3176342
2022-23	3176342	5579140	260294	9015776	1683977	7331799
2023-24	7331799	651074	183324	8166197	2628425	5537772

Closing Balance as on 31.3.24 as per cash book 5537772

Closing Balance as on 31.3.24 as per bank account number 5134132000010 5537772

Difference Nil

Chief Executive Officer(PS)
BDO Rajgarh Distt. Sirmour H.P.

परिशिष्ट - 5 पैरा 4(3) से सम्बन्धित व 4(7)

Financial Position RGSA for the period 4/19 to 3/24 Panchayat Samiti Rajgarh							
Year	Opening Balance	Receipts	Interest	Total	Payments	Closing Balance	
2019-20	0	100000	454	100454	0	100454	
2020-21	100454	0	2230	102684	97212	5472	
2021-22	5472	696927	2604	705003	573520	131483	
2022-23	131483	0	3784	135267	18815	116452	
2023-24	116452	414800	11607	542859	28007	514852	
Closing balance as on 31.3.24 as per cash book							514852
Closing balance as on 31.3.24 as per bank account number 5134101001330 canara bank							514852
Difference							Nil

Chief Executive Officer(PS)-cum-
BDO Rajgarh Distt. Sirmour H.P.

28

26

परिशिष्ट - 6, पैरा 4 (7) से सम्बंधित

29

Financial position for the period 4/19 to 3/24 of BRGF Grant Panchayat Samiti Rajgarh							
Year	Opening Balance	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Balance	
2019-20	3916996	0	118059	4035055	436198	3598857	
2020-21	3598857	76906	68911	3744674	617561	3127113	
2021-22	3127113	0	54561	3181674	66500	3115174	
2022-23	3115174	0	22	3115196	20000	3095196	
2023-24	3095196	0	55995	3151191	12500	3138691	
A (1) Closing Balance as on 31.3.24 account number 50100071609712 HDFC							3173
(2) Closing Balance as on 31.3.24 account number 34250100000912 BOB							2786714
(3) Total in saving bank accounts (1+2)							2789887
(4) closing balance as on 31.3.24 as per financial position							3138691
(5) Difference as less in bank							348804
B (1) opening balance as on 1.4.19 as per cash book							3916996
(2) opening balance as on 1.4.19 as per bank account 912							2528299
(3) openinf balance as on 1.4.19 as per account 712							949563
(4) Total in bank (2+3)							3477862
Difference in opening balance (1-4)							439134

नोट:- उपरोक्त अन्तर को शीघ्र ही समाधान करके रिपोर्ट अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Block Development Officer
Development Block Rajgarh

परिशिष्ट - 7, पैरा-4

पंयायत समिति राजगढ के विभिन्न बैंक बचत खातों में दिनांक 01.04.2019 को आरम्भिक शेष तथा 31.03.2024 को शेष राशि का विवरण

क्रम सं0	शीर्ष	बैंक का नाम/ खाता संख्या	दिनांक 1.4.19 को रोकड बही अनुसार आरम्भिक शेष	दिनांक 1.4.19 को बैंक अनुसार आरम्भिक शेष	अन्तर	दिनांक 31.3.24 को रोकड बही अनुसार अन्तिम शेष	दिनांक 31.3.24 को बैंक अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
1	समिति निधि	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक/ 56310104133	127016	169739	42723	8622435	208453	
		कैनरा बैंक/ 110045013107	0	0	0		3687739	
		एचडीएफसी बैंक/ 50100560203522	0	0	0		4154090	
		योग	127016	169739	42723	8622435	8050282	572153
2	14वां वित्त	कैनरा बैंक/ 51341000775	3441334	2352872			569055	
		हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक/ 56310123992		1161612			8186	
		कुल	3441334	3514484	73150	564431	577241	12810
3	15वां वित्त	कैनरा बैंक/ 5134132000010	0	0	0	5537772	5537772	0

4	आर.जी. एस.ए.	कैनरा बैंक / 5134101001330	0	0	0	514852	514852	0
5	बी.आर. जी.एफ.	एचडीएफसी बैंक / 50100071609712	3916996	949563		3138691	3173	
		बैंक आफ बडौदा / 3425100000912		2528299			2786714	
		कुल	3916996	3477862	439134	3138691	2789887	348804
6	स्वयं स्त्रोत	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक / 56310115472	1900379	1946532	46153	1030938	932944	97994

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9

परिशिष्ट - 8, पैरा 10 से सम्बन्धित (32)

6. दिनांक 31–03–2024 को बकाया दुकान किराया राशि विवरण

Sh Geeta Ram					
Year	**Previous Arrear**	**Current Demand**	**Total**	**Collection**	**Amount outstainding**
2019-20	11400	3600	15000	0	15000
2020-21	15000	3600	18600	0	18600
2021-22	18600	3600	22200	0	22200
2022-23	22200	3600	25800	0	25800
2023-24	25800	3600	29400	0	29400
Sh Neeta Ram s/o Dhani ram r/o Deedag					
2019-20	2700	3600	6300	0	6300
2020-21	6300	3600	9900	0	9900
2021-22	9900	3600	13500	0	13500
2022-23	13500	3600	17100	0	17100
2023-24	17100	3600	20700	0	20700
Sh Arun Kumar S/O lekh Ram					
2019-20	0	0	0	0	0
2020-21	0	0	0	0	0
2021-22	0	0	0	0	0
2022-23	0	0	0	0	0
2023-24	0	6000	6000	3000	3000

खण्ड विकास अधिकारी
पंचायत विकास खण्ड राजगढ़
Chief Executive Officer
BDO Rajgarh Distt. S...

30

No- DBR/Estt/PF- 476 – 480
Office of the Block Development Officer
Development Block Rajgarh
Dated: 23/04/2024 Rajgarh

OFFICE ORDER

Consequent upon the Revision Pay Scale Zila parishad Cader Emplyees vide-Director – cum-Special secretary (Panchayati Raj) HP Shimla -09 Office leter no- PCH-HB(15)01/2022.Pay Revision-1622-33 dated 07[th] March 2024 and Special Secretary (Panchayati Raj) to the govt. of H.P office Notification No-PCH.HB(15)01/2022-Pay Revision)-60236-63336 dated 23[rd] September 2022 the pay of **Smt. Rama Devi Panchayat Secretary** of this office is hereby fixed in the revised pay structure as under:-

Post Held		**Panchayat Secretary**		
Date of Joining		**08/12/2020**		
Date of Increment		1[st] December		
Pay Band & Grade Pay as per HPCS (PR) Rules 2009		5910-20200+1900 Grade Pay		
Pay Band & Grade pay after re-revision 2012		10300-34800+3200 Grade Pay		
As per option submitted by Smt. Rama Devi, Panchayat Secretary Pay fixed as on **01/12/2022 with factor 15 %**				
Level corresponding to 1900 Grade pay		Level-3		
Pay in the Pay Band as on 01/12/2022 Basic pay + Grade pay		10300+3200=13500		
DA @113%(13500*113%) (Rounded off to the nearest rupee)		15255-00		
Basic Pay + DA		13500+15255=28755-00		
15% increase on Basic Pay+DA (28755*15%)		4313-00		
Basic Pay+DA+15%		13500+15255+4313=33068		
Pay fixed Rs 33068/- either equal or next higher to Rs 33300/- in cell -18		33300-00		
	01/12/2022	33300-00	Cell-18	Level-3
Annual Increment.	01/12/2023	34300-00	Cell -19	--do--
DNI 01/12/2024				

[illegible] .The above fixation of the pay is subject to the verification by Audit and in case any recovery on account of excess payment is noticed later on the same will be recovered from the above official.

Chief Executive officer(PS) –Cum-
Block Development Officer Rajgarh
Dated :- 23/04/2024.

Endst No- DBR/2024-As above :- 476-80
Forwarded to :-

1. Director-cum-Special Secretary (PR)Himachal Pradesh Shimla-09 for information please.
2. Chief Executive Officer(ZP)-cum- ADM Sirmour at Nahan for information please.
3. Secretary Zila Parishad Sirmour at Nahan for information.
4. Concerned official for information.
5. Gurad file.

31

Chief Executive officer(PS) –Cum-
Block Development Officer Rajgarh

परिशिष्ट– 8   पैरा 9 में सन्दर्भित

कर्मचारी का नाम – श्रीमती रमा देवी, नियुक्ति की तिथि– 08.12.2020			
वेतन जो निर्धारित किया गया		**वेतन जो निर्धारित होना था**	
संशोधित वेतनमान लागू किए जाने की तिथि		23.09.2022	
कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प		15%	
संशोधित वेतनमान लागू होने की तिथि से पूर्व दिनांक 22.09.2022 को वेतन		₹6150+₹1900 =₹8050	
दिनांक 1.12.22 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त दिया गया वेतन	₹6400+₹1900 =₹8300	......	....
दिनांक 1.12.22 को 2 वर्ष की सेवा उपरान्त दिया गया वेतन	₹10300+₹3200 =₹13500	------	------
Revised pay figure so arrived after rounding off as on 01-12-22	₹13500+₹15255(DA 113%)+ ₹4313.25(15% of Basic+DA)= ₹33068	Revised pay figure so arrived after rounding off as on 22-09-22	₹8050+₹9097(DA 113%)+ ₹2572(15% of Basic+DA)= ₹19719
Revised pay in pay Matrix fixed in cell 18 level 3 as on 01.12.2022	₹33300	Revised pay in pay Matrix fixed in cell 1 level 3 as on 23.09.2022	₹20200
-----	....	दिनांक 1.12.22 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹20800
दिनांक 1.12.23 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त दिया गया वेतन	₹34300	दिनांक 1.12.23 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹21400
......	....	दिनांक 1.12.24 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹22000

32

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9

परिशिष्ट-9 Para 13 (13)

Due Drawn Statement Smt. Rama Devi Panchayat Secretary										
Name	Period	Due			Drawn			Difference	Month/days	Amount
		Basic	DA	Total	Basic	DA	Total			
Smt. Rama Devi	1-12-22 to 7-12-22	4697 @ 20800PM	1597	6294	7519 @33300 PM	2556	10075	-3781	7 days	-3781
	8-12-22 to 31-12-22	**16103 @ 20800PM**	5475	21578	25781 @ 33300PM	8766	34547	-12969	24 days	-12969
	1-1-23 to 30-11-23	20800	7072	27872	33300	11322	44622	-16750	11 M	-184250
	1-12-23 to 31-3-24	21400	7296	28696	34300	11662	45962	-17266	4 M	-69064
	1-4-24 to 30-9-24	21400	8132	29532	34300	13034	47334	-17802	6M	-106812
	1-10-24 to 30-11-24	21400	8988	30388	34300	14406	48706	-18318	2M	-36636
									Total	-413512

33

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9